पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में बाल किशोर पुलिस इकाई गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश-

आज दिनांक 29.02.2024 को जनपद महोबा के रिज़र्व पुलिस लाइन में स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे (नोडल अधिकारी), की अध्यक्षता में SJPU & AHTU की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक संपन्न की गई। जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी SOP, अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम, नशामुक्त आभियान, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंग समानता, नारी शक्ति, बच्चा चोरी के अफवाहो पर जारी डीजी परिपत्र, किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल संरक्षण, वर्तमान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महोबा,शिक्षा विभाग, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रम पर्वतन अधिकारी, प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जनपद महोबा, जी0आर0पी0,जिला अभियोजन कार्यालय ,महिला थाना / एस0जे0पी0यू0 प्रभारी निर्देशक चाइल्ड लाइन महोबा के साथ-साथ सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में प्रतिदिन जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 29.02.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने बीते दिनों हुये अन्धे हत्याकाण्ड का किया सफल अनावरण, घटना को अंजाम देने वाले पति-पत्नी आलाकत्ल के साथ हुए गिरफ्तार।

दिनांक 24/25.02.2024 की रात्रि में ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा में हाकिम सिंह पुत्र मेहरबान सिंह उम्र करीब 40 वर्ष की रात में अपने खेत पर सोते समय हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में मृतक हाकिम सिंह की पत्नी की तहरीर पर दिनांक-25.02.2024 को थाना महोबकंठ में मु0अ0सं0 37/24 धारा 302 भादवि का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा उक्त सनसनीखेज घटना का संज्ञान लिया गया तथा घटना के अनावरण हेतु श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड़, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़/चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में घटना स्थल का निरीक्षण करने व घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु श्री राधेश्याम वर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित हुई पुलिस टीमों ने उक्त घटित घटना में सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। विवेचना के दौरान घटना के सम्बन्ध में विभिन्न कडियों को जोड सुरागरसी-पतारसी की गई। जिसमें ज्ञात हुआ कि ग्राम सौरा निवासी अजुद्दी पुत्र स्व0 धन्नी रैकवार उम्र करीब 40 वर्ष व उसकी पत्नी सोमा रैकवार उम्र करीब 36 वर्ष ने मिलकर ही उक्त मर्डर की घटना को अंजाम दिया है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 29.02.2025 को उक्त हत्या की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तगण क्रमशः 1.अजुद्दी पुत्र स्व0 धन्नी रैकवार उम्र करीब 40 वर्ष 2.सोमा पत्नी अजुद्दी रैकवार उम्र करीब 36 वर्ष निवासीगण ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभि0गण उपरोक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

पूंछताछ पर अभि0गण द्वारा अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि अभि0 अजुद्धी और मृतक हाकिम सिंह सम्मिलित रूप से जमीन बल्कट पर लेकर साथ कृषि कार्य करते थे तथा अभि0 अजुद्धी मछली खरीदने व बेंचने का काम भी करता है मृतक हाकिम सिंह अभि0 अजुद्धी की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी से अवैध सम्बन्ध बनाता था तथा उसे प्रताड़ित करता था तथा किसी अन्य से बोलने, फोन पर बातचीत करने से मना करता था तथा उसकी पत्नी की कुछ वीडिओ गांव के लोगो को दिखाकर बदनाम करने की धमकी देता रहता था जिससे परेशान होकर दोनो अभि0गण द्वारा एक राय होकर सो रहे हाकिम सिंह के सिर पर कुल्हाड़ी से कई ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी थी, अभि0 की निशांदेही पर आला कत्ल एक अदद कुल्हाड़ी बरामद की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1. SHO राधेश्याम वर्मा
2. उ0नि0 सनय कुमार
3. हे0का0 विकास मिश्रा 4.का0 कुँवरपाल 5.का0 अंशु प्रताप सिंह 6.म0का0 मनीषा पटेल थाना महोबकंठ जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 29.02.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अजुद्दी पुत्र स्व0 धन्नी रैकवार उम्र करीब 40 वर्ष
2. सोमा पत्नी अजुद्दी रैकवार उम्र करीब 36 वर्ष

निवासीगण ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जिला महोबा

बरामदगी -

आलाकत्ल एक अदद कुल्हाड़ी व अभि0 अजुद्दी द्वारा हत्या कारित करते समय पहने हुये रक्त रंजित कपड़े

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 29.02.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा अग्नि सुरक्षा कवच के सुदृढ़ीकरण हेतु लोकभवन सभागार लखनऊ से अग्निशमन केन्द्र कुलपहाड़, जनपद महोबा के आवासीय भवनों का वर्चुअली लोकार्पण किया गया।

आज दिनांक 29.02.2024 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अग्नि सुरक्षा कवच को सुदृढीकरण हेतु लोकभवन सभागार लखनऊ से जनपद महोबा के सर्किल कुलपहाड़ क्षेत्र में अवस्थित अग्निशमन केन्द्र कुलपहाड़ के आवासीय भवनों का वर्चुअली लोकार्पण किया गया है। इन फायर स्टेशनों पर आवासीय भवनों के लोकार्पण से फायर सर्विस के अधिकारी/कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।

उक्त वर्चुअल कार्यक्रम में मौके पर जनपद महोबा के भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अवधेश गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि श्री राहुल अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड, सीएफओ महोबा श्री रेहान अली, एफएसओ महोबा श्री देवेश तिवारी के साथ जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारीगण सहित स्थानीय गणमान्य/सम्भ्रान्त लोग मौजूद रहेlमौजूद रहकर माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों से लाभान्वित हुये।

प्रभारी फायर सर्विस महोबा श्री देवेश तिवारी द्वारा बताया गया कि अग्नि सुरक्षा कवच के सुदृढ़ीकरण हेतु जनपद लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के **25** जनपदों में **38** अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण व **04** अग्निशमन केंद्रों का शिलान्यास तथा **35** अग्निशमन वाहनों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया है। जनता को बेहतरीन आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अग्निशमन विभाग युद्ध स्तर पर क्रियाशील है।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 29.02.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.02.2024 को श्री सत्यम अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 रामकिशन यादव व हे0कां0 रामकरन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अ0सं0 113/16 मु0नं0 3869/16 धारा 279/337/338 भादवि थाना कबरई से सम्बन्धित एक नफर वारंटी अभियुक्त शिलू सिंह पुत्र श्याम सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी बांदा चौराहा स्टेट बैंक के पीछे कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा को बांदा चौराहा स्टैट बैंक के पीछे कस्वा कबरई से नियमानुसार गिरफ्तार किया है। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 रामकिशन यादव
2.हे0कां0 रामकरन सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

शिलू सिंह पुत्र श्याम सिंह उम्र 30 वर्ष नि0 बांदा चौराहा स्टेट बैंक के पीछे कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तारी का स्थान-

बांदा चौराहा स्टेट बैंक के पीछे कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा।